

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024
में राजनैतिक दलों / उम्मीदवारों
तथा शासकीय / अर्द्धशासकीय कर्मियों हेतु

आदर्श आचरण संहिता

वोट हमारा है अधिकार, कभी न करें इसे बेकार।

प्राककथन

“भारत का संविधान” में किये गये 74 वें संशोधन के फलस्वरूप नागर स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्तर प्राप्त होने के बाद इन संस्थाओं के पदाधिकारियों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया था। इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-243 य क सपठित अनुच्छेद-243ट में नागर निकायों के पदाधिकारियों के निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्राविधान किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य के सृजन के पश्चात संविधान के अनुच्छेद-243ट एवं 243य क में किये गये प्राविधानानुसार दिनांक 30 जुलाई, 2001 को राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड का गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय अपने स्वामित्वाधीन “निर्वाचन भवन” लाडपुर, मसूरी बाईपास रिंग रोड, देहरादून में स्थित है। राज्य गठनोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के सभी 13 जनपदों में नागर निकायों के सभी निर्वाचन समय—सारणी के अनुसार निर्विधन, निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से सम्पादित कराये जा रहे हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के अन्तर्गत निर्वाचन के नियंत्रण एवं संचालन हेतु पर्याप्त शक्तियों प्रदान की गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर निकायों के निर्वाचन को दृढ़ता, कुशलता तथा पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने हेतु सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों तथा निर्वाचन से सम्बंधित अधिकारियों के साथ—साथ मा० मंत्रीगणों, मा० विधायकों, नीति निर्धारकों तथा अधिकारियों—कर्मचारियों के क्रिया—कलापों को निर्वाचन के हित में व्यवस्थित करने के लिए “आदर्श आचरण संहिता” बनाई गई है, जिसके फलस्वरूप अब तक सम्पादित सभी निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुए हैं, जिसके लिए मैं सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों तथा निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों—कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सकारात्मक सहयोग से आयोग हिंसामुक्त स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न करने में सफल हो सका है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आयोग द्वारा जारी यह “आदर्श आचरण संहिता” सरकार के नीति निर्धारकों, मा० मंत्रीगणों, मा० विधायकों, जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों—कर्मचारियों के साथ—साथ निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों, के समुचित मार्ग दर्शन के लिये लाभकारी सिद्ध होगा।

सुशील कुमार
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

“भारत का संविधान” के 74वें संशोधन के फलस्वरूप नागर निकायों को न केवल संवैधानिक इकाई बनाया गया है, बल्कि प्रत्येक पाँच वर्ष में इनका निर्वाचन अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों के अस्तित्व तथा निर्वाचन को संवैधानिक शक्ति प्रदान की गयी एवं राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिया गया कि वह उक्त संस्थाओं का निर्वाचन समय व निष्पक्ष रूप से करायें।

राज्य निर्वाचन आयोग को “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 243 य के द्वारा नागर निकाय के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। मा० उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या-5756/2005 किशन सिंह तोमर बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अहमदबाद एवं अन्य में पारित निर्णय में स्पष्ट किया गया कि निर्वाचनों को सम्पन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को वैसी ही शक्तियाँ प्राप्त हैं जैसी कि भारत निर्वाचन आयोग को प्राप्त हैं।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद-243-य क सपठित अनुच्छेद-243-ट के अन्तर्गत नागर निकायों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अतः इन निर्वाचनों को सही ढंग से सम्पादित कराने हेतु “आदर्श आचरण संहिता” की परम आवश्यकता है, ताकि निर्वाचनों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता निरन्तर बनी रहे। अतः राज्य की नागर निकायों के निर्वाचनों को पूर्णतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित करने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक “आदर्श आचरण संहिता” तैयार की गई है जो इन निर्वाचनों के दौरान सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों, मतदाताओं, शासकीय विभागों और चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों आदि पर लागू होगी।

आदर्श आचरण संहिता के अधिकांश प्राविधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पूर्व से ही निहित हैं। अर्थात् इस संहिता के प्राविधानों का उल्लंघन करने वालों को उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता है। इसके अलावा उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र का निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द भी किया जा सकता है।

आदर्श आचरण संहिता में सम्मिलित कदाचारों को भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन अपराध के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) में भी उम्मीदवारों के अर्हता एवं अनर्हता के विषय में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं जिनमें से कुछ निर्देश उनके आचरण एवं व्यवहार के संबंध में भी सम्मिलित किये गये हैं।

अतः संविधान के अनुच्छेद 243-य क सपठित अनुच्छेद 243-ट एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड अग्रलिखित “आदर्श आचरण संहिता” राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने की तिथि से स्वतः लागू होने और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू करने की उद्घोषणा करता है।

आदर्श आचरण संहिता

1- सामान्य आचार संहिता

आदर्श आचरण संहिता के प्राविधान किसी भी नागर निकाय के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों, उनके प्रतिनिधियों, राजनैतिक दलों, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के वित्त पोषित समितियों, निगमों एवं प्राधिकरणों पर निर्वाचन घोषणा की तिथि व समय से समान रूप से लागू होंगे। निर्वाचन के उक्त निर्देश निर्वाचन समाप्ति की तिथि तक लागू रहेंगे परन्तु मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए मानव कृत और प्राकृतिक आपदाओं में दी जाने वाली सहायता पर उपरोक्त निर्देश लागू नहीं होगा परन्तु ऐसी परिस्थिति में कोई विशेष सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

सभी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

1. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य या व्यवहार नहीं करना चाहिये, जिससे कि किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो, या उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न करने की सम्भावना हो।
2. मत प्राप्त करने के लिये जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लेना चाहिए।
3. पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर व गुरुद्वारा का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए।
4. किसी भी उम्मीदवार को ऐसे कार्यों से ईमानदारी के साथ परहेज करना चाहिए जो कि निर्वाचन विधि के अन्तर्गत “भ्रष्ट आचरण” और अपराध माने गये हैं, जैसे :-
 - (क) मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व के समय में सभा करना।
 - (ख) किसी चुनाव सभा में गडबड़ी करना या करवाना।
 - (ग) मतदाताओं को रिश्वत जैसे नकदी एवं प्रलोभन जैसे कि शराब, अन्य पेय पदार्थ, भोजन एवं उपहार आदि देकर या डरा-धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित करने का प्रयास करना।
 - (घ) मतदाताओं का प्रतिरूपण कर अर्थात् नाम से अपने पक्ष में मतदान करने के लिये किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से प्रोत्साहित करना या मदद करना।
 - (ङ) मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना।

आदर्श आचरण संहिता

1- सामान्य आचार संहिता

आदर्श आचरण संहिता के प्राविधान किसी भी नागर निकाय के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों, उनके प्रतिनिधियों, राजनैतिक दलों, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के वित्त पोषित समितियों, निगमों एवं प्राधिकरणों पर निर्वाचन घोषणा की तिथि व समय से समान रूप से लागू होंगे। निर्वाचन के उक्त निर्देश निर्वाचन समाप्ति की तिथि तक लागू रहेंगे परन्तु मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए मानव कृत और प्राकृतिक आपदाओं में दी जाने वाली सहायता पर उपरोक्त निर्देश लागू नहीं होगा परन्तु ऐसी परिस्थिति में कोई विशेष सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

सभी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

1. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य या व्यवहार नहीं करना चाहिये, जिससे कि किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो, या उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न करने की सम्भावना हो।
2. मत प्राप्त करने के लिये जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लेना चाहिए।
3. पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर व गुरुद्वारा का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए।
4. किसी भी उम्मीदवार को ऐसे कार्यों से ईमानदारी के साथ परहेज करना चाहिए जो कि निर्वाचन विधि के अन्तर्गत “भ्रष्ट आचरण” और अपराध माने गये हैं, जैसे :-
 - (क) मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व के समय में सभा करना।
 - (ख) किसी चुनाव सभा में गडबड़ी करना या करवाना।
 - (ग) मतदाताओं को रिश्वत जैसे नकदी एवं प्रलोभन जैसे कि शराब, अन्य पेय पदार्थ, भोजन एवं उपहार आदि देकर या डरा-धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित करने का प्रयास करना।
 - (घ) मतदाताओं का प्रतिरूपण कर अर्थात् नाम से अपने पक्ष में मतदान करने के लिये किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से प्रोत्साहित करना या मदद करना।
 - (ङ) मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना।

(3)

- (च) मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास आपत्तिजनक अथवा अशोभनीय आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना।
- (छ) मतदान केन्द्रों में कब्जा करना अथवा मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने से रोकना या मतदेय स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करना।
- (ज) आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करना या उनमें अनाधिकृत अवैध मतपत्रों को शामिल करना।
5. मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर होनी चाहिये, जिनमें मतदाताओं का नाम, उनके माता/पिता का नाम, नागर निकाय का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र/स्थल का क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके अनुक्रमांक के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा होना चाहिये।
6. किसी भी राजनैतिक दल/उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जायेगी।
7. किसी भी उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवार यौं उसके समर्थकों का पुतला लेकर चलने, उनके सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इस प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए।
8. शासन के विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिये किसी भी उम्मीदवार को नहीं करना चाहिये।

2- चुनाव प्रचार

सभी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

1. किसी भी व्यक्ति को अपने निर्वाचन अभियान में किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में धर्म के नाम का या धार्मिक आधार का या ऐसी किसी भी गतिविधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे लोगों के विभिन्न वर्गों या समूहों के बीच वैमनस्य पैदा होने की सम्भावना हो। ऐसी गतिविधियाँ/वक्तव्य निषिद्ध हैं और इन्हें विधि के विभिन्न प्रावधानों, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125, भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197, 171, 299 और 353(2) तथा धार्मिक संस्थान (दुरुप्रयोग निवारण) अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराध माना गया है।
2. किसी अन्य राजनैतिक दल/उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाना अथवा इस प्रकार के अन्य कृत व प्रदर्शन नहीं करेंगे, न ही इसका समर्थक करेंगे।

3. निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे।
4. चुनाव प्रचार-प्रसार सामग्री में प्लास्टिक/पॉलीथीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
5. किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनैतिक विचारों या कृत्यों से असहमति एवं मतभिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विघ्नरहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जाएगा। किसी व्यक्ति के विचार/मत/कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जाएगा।
6. चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग झांडा लगाने/झांडियाँ टाँगने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं/एजेण्टों को ऐसा करने देंगे।
7. किसी भी शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नहीं लगाएंगे, और न ही किसी प्रकार से विरूपण करेंगे जो उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
8. अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाए गए झांडे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें तथा नियमसंगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे।
9. चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेंगे।
10. चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। लाउडस्पीकर/साउण्ड बॉक्स से निकलने वाली आवाज के डेसिबल, संबंधित कानून/दिशा-निर्देशों के तहत यथा-निर्धारित अनुमन्य सीमा से अधिक न हो। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नहीं स्थापित किए जाएंगे। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व के दौरान किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर पर प्रतिबन्ध होगा।
11. टीवी/चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे।
12. कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकॉपी भी सम्मिलित होगी।
13. किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों के अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा-176 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

14. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके या उनके कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों द्वारा किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न न की जाय। उम्मीदवारों को अपने समर्थन में जुलूस, उस रास्ते से या स्थान में ले जाने और आयोजित नहीं करने चाहिए, जहाँ दूसरा कोई उम्मीदवार अपने समर्थन में जुलूस या सभा आयोजित कर रहा है।

3—रैली/रोड शो

1. निर्वाचन के दौरान रोड शो आयोजित करने हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त की जायेगी।
2. रोड शो से बड़े अस्पताल, भीड़ वाले बाजार एवं सार्वजनिक परिवहन के मार्ग में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
3. रोड शो से बड़े अस्पताल, भीड़ वाले बाजार एवं सार्वजनिक परिवहन के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने पर उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।
4. सभा, जुलूस, रैली एवं रोड शो में उपयोग किये जाने वाले बैनर, होर्डिंग इत्यादि का प्रदर्शन का नमूना निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित तिथि एवं समय से 24 घंटे पूर्व दिया जाना आवश्यक होगा।
5. राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित होनी वाली सभा/रैली/जुलूस पर भी उपरोक्त प्रतिबन्ध होंगे। राष्ट्रीय स्तर के राजनैतिक प्रतिनिधियों पर होने वाले व्यय, हैलीकॉप्टर वाहन आदि का व्यय भी निर्वाचन व्यय में सम्मिलित होगा और उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी।
6. रोड शो हेतु प्रत्येक 10 वाहनों का काफिला बनाया जायेगा यदि इससे अधिक व्याहन इस्तेमाल किये जाते हैं तो प्रत्येक काफिले में 100 मीटर की दूरी बनायी जायेगी।

4—विज्ञापन होर्डिंग एवं डिजिटल विज्ञापन आदि

- (क) राज्य सरकार की सरकारी वेबसाईट पर उपलब्ध मंत्रियों, राजनीतिज्ञों के फोटो एवं सन्देश को निकाल लिया जायेगा/परिष्कृत किया जायेगा अथवा ढक दिया जायेगा अथवा छिपा/हटा दिया जायेगा।
- (ख) निर्वाचन क्षेत्र में सरकार द्वारा लगाये जाने वाले होर्डिंग, विज्ञापन इत्यादि, जो सामान्य जानकारी देने अथवा आम जनता को परिवार नियोजन, सामाजिक कल्याण की योजनाओं इत्यादि की जानकारी देने का काम करते हैं, के प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है। तथापि सरकारी राजकोष की लागत पर सभी होर्डिंग और विज्ञापन इत्यादि जिसमें किसी मौजूदा राजनीतिक प्रतिनिधि अथवा राजनैतिक दल की उपलब्धियां प्रदर्शित होती हों और जिसमें उनकी फोटो अथवा नाम अथवा दल का प्रतीक हो उनको तत्काल हटा देना चाहिए। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा लगाये गये सभी प्रचार संबंधी होर्डिंग जिनमें किसी सत्ताधारी दल या राजनैतिक प्रतिनिधि की उपलब्धियों को उजागर किया गया है, हटा दिया जायेगा अथवा ढंक दिया जाए जिसमें किसी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि/व्यक्ति की फोटो भी सम्मिलित है।

5—सभाये एवं जुलूस

सभी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान सभा एवं जुलूस के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:—

1. सभा/रैली/जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे।
2. सार्वजनिक सभा या रैली के आयोजनार्थ प्रस्तावित स्थान तथा समय की सूचना उम्मीदवारों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले से ही उपयुक्त समय पर दे देनी चाहिये ताकि यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति व्यवस्था बनाने के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर सकें।
3. जुलूसों और सभाओं या रैलियों में जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा—163 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित असलहे/लाठी-डण्डे/ईट-पथर आदि लेकर नहीं चलेंगे।
4. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि जिस स्थान पर उसका या उसके समर्थकों का, उसकी उम्मीदवारी के पक्ष में सभा या रैली करने का प्रस्ताव है, वहाँ कोई निषेधात्मक या प्रतिबन्धात्मक आदेश तो शासन अथवा न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, यदि ऐसा आदेश लागू हो, तो उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिये। यदि ऐसे आदेशों से छूट का प्रावधान हो तो उसके लिये समय से आवेदन कर छूट की आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिये।
5. उम्मीदवार को चाहिये कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्गों से ले जायें, जिन मार्गों के लिये कि उसे पूर्वानुमति मिली हो और उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिये।
6. उम्मीदवार और उसकी सभा या रैली के आयोजकों का यह नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वे सभा या रैली में विघ्न डालने वालों से या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने के प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की मदद लें, न कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने लगें।
7. मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाएगा। इसमें टी०वी०/केबिल चैनल/रेडियो/प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार/विज्ञापन भी सम्मिलित होगा।
8. उपरोक्त में से प्रत्येक आयोजन पर होने वाला प्रत्येक व्यय उम्मीदवार द्वारा अपनी व्यय पंजिका में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
9. राजकीय मैदान, राजकीय विद्यालयों/कॉलेजों के मैदान/सभा मण्डप, सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली सभा रैली हेतु स्थान का पूर्वानुमति संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन से प्राप्त करनी होगी।

6—मतदान दिवस पर

1. निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सहायोग करेंगे।
2. फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगे, न ही मदद करेंगे।
3. उम्मीदवार मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिए वाहन अपने व्यय पर नहीं उपलब्ध कराएंगे।
4. मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के रेडियस के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, न ही वोट माँगेंगे।
5. मतदान केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे। मतदान से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य में न तो बाधा डालेंगे, न ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे।
6. मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे।
7. आपराधिक दुराचरण से ₹०वी०एम० को क्षति पहुँचाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने/कराने का कार्य नहीं करेंगे।
8. मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट लगाए गए शिविर लघु आकार के होंगे और आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे। उस पर कोई झाण्डा, प्रतीक अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी एवं न ही खाद्य पदार्थ दिये जाएंगे। मतदान केन्द्र से कम से कम 100 मीटर दूरी के बाहर लगाएंगे जाएंगे।
9. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/प्रेक्षक/निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी/मतदान कार्मिक/प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता/मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा।
10. मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले चुनाव प्रचार में लगा कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है, सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देगा।
11. अपने मतदान अभिकर्ता को उपयुक्त बिल्ले या पहचान-पत्र समय से दें।
12. मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगायी जाने वाले पाबन्दियों का पालन करने में अधिकारियों के साथ सहयोग करें।

7-सत्ताधारी दल हेतु अपेक्षित आचरण एवं व्यवहार

सत्ताधारी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता चुनाव के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

1. माझे मंत्रीगण किसी कल्याणकारी योजना के संबंध में अपने विभागीय अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं परन्तु निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से कोई भी बैठक निकाय या अन्यत्र नहीं कर सकते हैं।
2. माझे मंत्रीगण, पंचायतों एवं नागर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा जन-सम्पर्क राशि या विवेकाधीन राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिये।
3. राज्य सरकार, जनपद का सरकारी तंत्र अथवा नागर निकाय निर्वाचन अवधि के दौरान नगर निकाय से संबंधित कोई भी घोषणा नहीं करेंगे जिससे नागर स्थानीय निकाय के मतदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हों।
4. किसी भी सार्वजनिक उपक्रम/शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग के निरीक्षण गृह, डाक बंगला या अन्य किसी विश्रामगृह का प्रयोग चुनाव प्रचार अथवा चुनाव कार्यालय के लिए नहीं करेंगे।
5. निर्वाचन के दौरान सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों को चुनाव प्रचार कार्य से नहीं जोड़ेंगे और न ही शासकीय तंत्र अथवा कर्मचारियों का उपयोग करेंगे।
6. निर्वाचन अवधि में सरकारी खजाने से किसी अखबार या मीडिया में नगरीय निकायों से संबंधित किसी विभाग/संस्था द्वारा कोई भी विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे।
7. निर्वाचन अवधि में नगरीय निकायों से संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा किसी भी नवीन योजना/परियोजना/कार्य/कार्यक्रम की घोषण अथवा प्रारम्भ नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी वित्तीय स्वीकृति अथवा धनराशि अवमुक्त नहीं की जाएगी। चालू परियोजना/कार्यों में जो कार्य चालू हैं और धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, वे कार्य यथावत् चलते रहेंगे। चालू परियोजना/कार्य में कोई नयी वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जाएगी। दैवीय आपदा एवं मानवजनित दुर्घटना में दी जाने वाली सहायता राशि पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
8. भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी मतदान केन्द्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे।
9. सत्ताधारी राजनैतिक दल को चाहिये कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभायें आयोजित करने और निर्वाचन के सम्बन्ध में हवाई उड़ानों के लिये हैलीपैडों के इस्तेमाल करने के लिये अपना एकाधिकार न जमायें। ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और उम्मीदवारों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाय, जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

10. सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी और अर्द्धसरकारी वाहनों, तंत्र और कर्मियों का सत्ताधारी दल के हित में बढ़ावा देने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।
11. सत्ताधारी दल को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल को यह शिकायत का मौका न मिले कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है।

8- शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिये

सरकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी निम्नलिखित आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

1. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिये। यह आवश्यक है कि किसी को यह महसूस न होने दें कि वे निष्पक्ष नहीं हैं। जनता को उनकी निष्पक्षता पर विश्वास होना चाहिये तथा उन्हें ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिये जिससे ऐसी आशंका उत्पन्न हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद या विरोध कर रहे हैं।
2. चुनाव के दौरे के समय यदि कोई भी मार्ग मंत्री निजी आवास पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले, तो किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिये। यदि कोई निमंत्रण-पत्र प्राप्त हो तो उसे नप्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिये।
3. साधारणतया चुनाव के समय निर्वाचन क्षेत्र में जो आम सभा आयोजित की जाती है उसे चुनाव सम्बन्धी सभा मानना चाहिये और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं होना चाहिये। चुनाव के दौरान क्षेत्र में असामान्य निर्माण या किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना चाहिये।
4. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवार या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। यदि एक ही दिन में कोई उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हैं, तो उस उम्मीदवार या दल को अनुमति दी जानी चाहिये, जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया हो।
5. निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के बाद निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/नियुक्ति/पदोन्नति पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त स्थानान्तरण/नियुक्ति/पदोन्नति राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के बाद ही की जा सकेगी।
6. कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अधिकारी/कर्मचारी किसी भी सभा या आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे।

7. सुरक्षा में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के सिवाय अन्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी किसी मंत्री के साथ चुनाव क्षेत्र में उनके साथ नहीं जाएंगे। परन्तु मात्र मुख्यमंत्री शासकीय दौरों पर अपना स्टॉफ व सुरक्षा ले जा सकते हैं। मात्र मंत्रीगण अपने स्टॉफ में से एकमात्र व्यक्ति को ले जा सकते हैं। विशेष सुरक्षा अधिनियम, 1988 किसी महानुभाव को उनके सुरक्षा के दृष्टिगत कोई सुरक्षा दी गयी है तो उसके निर्देशों का पालन किया जाय। तथापि ऐसी सुरक्षा को अकस्मात बढ़ाना नहीं चाहिए।

9— निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने के दिनांक तक

1. नगर पालिकाओं/निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं शासकीय उपकरणों, प्राधिकरणों/निकायों, जिला पंचायतों एवं अन्य सरकारी वाहनों के उपयोग की अनुमति मात्र मंत्रीगणों, सांसदों एवं विधान मण्डल सदस्यों, पंचायतों एवं नगर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों अथवा उम्मीदवारों को नहीं दी जानी चाहिये। मात्र मंत्रीगण चुनाव अवधि तक शासकीय साधनों से अशासकीय यात्रायें न करें। व्यक्तिगत यात्राओं के लिये शासकीय साधनों एवं सरकारी तंत्र का प्रयोग ना किया जाये और न ही सरकारी तंत्र से किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की जानी चाहिये।
2. निर्वाचन प्रक्रिया की सम्पूर्ण अवधि में सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में सांसद निधि, विधायक निधि व अन्य किसी शासकीय निधि से नये निर्माण कार्य न तो स्वीकृत किये जाय, न तो क्रियान्वित किये जाय और न ही उनकी घोषणा की जानी चाहिये। अर्थात् यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी नये निर्माण कार्य शुरू नहीं किये जायेंगे और न ही उक्तार्थ धनराशि स्वीकृत की जायेगी। ऐसे कार्यों को करने हेतु निविदायें, विज्ञापन आदि भी प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा ऐसी निविदायें जो आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी होने के पूर्व आमंत्रित की जा चुकी हों उन पर भी अग्रेतर कोई भी कार्यवाही/निर्णय आदर्श आचार संहित के निष्प्रभावी होने के बाद ही की जाय। निर्वाचन प्रक्रिया की अधिसूचना से पूर्व तक जो भी निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुके थे तथा निर्माणाधीन थे, उन कार्यों पर रोक नहीं होगी। अपितु नये निर्माण कार्यों जिनसे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं उन पर पूर्णतः रोक रहेगी। ऐसे सततः चलने वाले विकास/निर्माण कार्य जो वर्ष-प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य सरकार की आय-व्ययक में पहले से प्रावधानित हो उन पर कोई रोक नहीं होगी।

निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि के दौरान आदर्श आचरण संहिता लागू रहते हुए निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा नई नियुक्तियों/भर्ती आदि नहीं की जायेगी। यह प्रतिबंध कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन से सम्बन्धित आई०ए०ए०स०, आई०पी०ए०स०, पी०सी०ए०स० एवं पी०पी०ए०स० संवर्ग के अधिकारियों पर भी लागू रहेगा।

उक्त के अतिरिक्त निर्वाचन सम्पन्न होने तक निम्न कार्यों के क्रियान्वयन पर भी प्रभावी रोक रहेगी:-

- (I) आग्नेयास्त्रों एवं उनके व्यवसायों हेतु नये लाईसेंस जारी किया जाना।
- (II) नागर स्थानीय निकायों द्वारा भूमि, दुकान, भवन आदि के आवंटन/ पट्टों की कार्यवाही किया जाना।
- (III) नागर स्थानीय निकायों की चल-अचल संपत्ति का स्थानान्तरण किया जाना।
- (IV) नागर स्थानीय निकायों से सम्बन्धित मामलों में नीलामी, ठेके, तहबाजारी की कार्यवाही किया जाना।
- (V) नागर स्थानीय निकाय क्षेत्रों में सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकानों के लाईसेंस प्रदान करना।
- (VI) नागर स्थानीय निकायों द्वारा नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं उनके लिये धनावंटन तथा नये निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।

10—निष्पक्ष चुनाव हेतु आवश्यक व्यवस्थायें

निर्वाचन अवधि के दौरान मतदाताओं को निर्भीकतापूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये शासन/प्रशासन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय :-

- (I) निर्वाचन अवधि के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की लाईसेंसधारियों के आग्नेयास्त्र जमा कराये जायें तथा शस्त्र लेकर चलने पर रोक लगायी जायें।
- (II) निर्वाचन कार्यों में गडबडी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।
- (III) मतदान केन्द्रों तथा मतगणना केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय ताकि बलपूर्वक मतदान एवं बूथ कैचरिंग की घटनायें घटित न हो तथा दलित/निर्बल वर्ग के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से न रोका जाय।
- (IV) मतदान एवं मतगणना की तिथियों पर शराब/भांग और अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगायी जाय।
- (V) मतदान एवं मतगणना की तिथि पर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।
- (Vi) मतदान की तिथि पर राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं स्थानीय निकायों में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाय।
- (Vii) मतदान की तिथि पर कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत कारीगरों/मजदूरों को अवकाश दिया जाय।

(12)


उक्त के आलोक में यदि आदर्श आचरण संहिता का कोई उल्लंघन प्रकाश में आये तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य विधियों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाय।

निर्वाचन से जुड़े पुलिस अधिकारियों, रैंज से पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद के पुलिस अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों पर भी इस आदर्श आचरण संहिता के उपबन्ध लागू रहेंगे।

आदर्श आचरण संहिता के तहत उल्लिखित व्यवस्थाओं से अवगत होते हुये सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों, आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला अधिकारियों तथा कार्यालयाध्यक्षों द्वारा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

मतदान करके देश निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।



राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड

ग्राम लाडपुर "निर्वाचन भवन" मसूरी बाई पास, रिंग रोड,

देहरादून— 248001